न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 71/11

1. कस्तूरी बाई पत्नी श्री बजरंग लाल निवासी देवली मांझी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. कंचनबाई पत्नी श्री बालमुकन्द जाति अहीर निवासी केथूली तहसील भानपुरा ।
3. भूली बाई पत्नी श्री सुखदेव जाति अहीर निवासी केथूली तहसील भानपुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. महावीर आत्मज श्री सुखदेव जाति अहीर निवासी केथूली तहसील भानपुरा ।
   3/2. विष्णु आत्मज श्री सुखदेव जाति अहीर निवीस केथूली तहसील भानपुरा ।
4. रामचन्द्र पुत्र मोती जाति अहीर निवासी छीपरदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गोकुल पुत्र कल्याण अहीर निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. रमेश पुत्र कल्याण जाति अहीर निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. प्रकाश पुत्र कल्याण जाति अहीर निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. ज्यानी पुत्री कल्याण जाति अहीर निवासी मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ससुराल धनसुरी (मोरपा के पास) ।
5. राधी बाई बेवा कल्याण जाति अहीर निवीस मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. सतवीर पुत्र बिरधा जाति अहीर निवासी छीपरदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. सूरज पुत्र बिरधा जाति अहीर निवासी छीपरदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. मनोहर बाई बेवा बिरधा जाति अहीर निवासी छीपरदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. रामलाल पुत्र किशना जाति अहीर निवासी छीपरदा तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   9/1. पवल बेवा रामलाल जाति अहीर ।
   9/2. धनकंवर पुत्री रामलाल जाति अहीर ।
   9/3. मुकेश पुत्र रामलाल ।
   9/4. हंसराज पुत्र रामलाल ।
   9/5. बरजू पुत्र रामलाल ।
   9/6. सोनू पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासीगण दोलपुरा तहसील बारां जिला बारां ।
10. ज्यानी बाई पुत्री किशना जाति अहीर निवासी छीपरदा तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम तर्क) ।
11. हीरालाल पुत्र धनरूप जाति अहीर निवासी छीपरदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला बून्दी में खसरा नम्बर 64 रकबा 2.05 बीघा, खसरा नम्बर 65/2 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 159/2 रकबा 17.09 बीघा, खसरा नम्बर 249/2 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.07 बीघा कुल 09 किता की रकबा 39 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 8 के शामलाती खाते में दर्ज है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी एंव प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण अत्यन्त लडाकू, झगझालू प्रवृति के व्यक्ति हैं जो जबरन अवैधानिक रूप से वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने के प्रयास में हैं । यदि वादीगण को उनके 1/6 हिस्से से बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में नियमानुसार बाई मीट्स एवं बाउण्ड खाता विभाजन किया जाकर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी वादी के हिस्से 1/6 आराजी पृथक खाते दर्ज की जाकर वादी को स्वतंत्र रूप से हिस्सा 1/6 पर दखल दिलाया जवे एंव लगान भी पृथक मुकर्रर किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के 1/6 हिस्से में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें उक्त कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 4, 5 व 6 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनो को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 के द्वारा प्रतिवादी कम 4, 5 व 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज करते हुए वाद वादी डिक्री करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक तौर पर 'नॉन स्पीकिंग' आदेश जारी करते हुए खारिज कर दिया गया । अपीलान्ट कम 1 से 3 रेस्पोडेन्ट की सगी बहिने हैं उन्होंने अपने साक्ष्य में स्वीकार कर रखा है के बाबजूद भी प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का खारिज कर दिया । अपीलान्ट मृतक मोती लाल की सगी पुत्रियॉ हैं उनका उक्त पैतृक

सम्पत्ति में हित–निहित है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 निरस्त फरमया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण कम 1 से 3 मृतक मोतीलाल जी की पुत्रियॉ हैं और प्रतिवादीगण की बहिने हैं एवं भूमि पुश्तैनी है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार प्रार्थीगण का हित–निहित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्टगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । अपीलान्टगण उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से व्यथित पक्षकार हैं । जिन्हें न्यायहित में अपील प्रस्तुत किये जान की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्टगण मृतक मोती लाल जी की पुत्रियॉ हैं । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर । अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने अपीलान्ट कम 1 से 3 को पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दावा डिक्री करवा लिया जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । रेस्पोडेन्ट वादीगण को यह जानकारी थी कि प्रतिवादी कम 1 से 5 के अलावा अपीलान्ट उनकी सगी बहिने हैं । तथ्यों को छिपाकर अवैध रूप से दावा डिक्री करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट कम 1 से 3 के द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक तौर पर 'नॉन स्पीकिंग' आदेश जारी करते हुए खारिज कर दिया जबकि आदेश 01 नियम 10 के प्रार्थना पत्र का आदेश स्पष्ट रूप से करना चाहिए था । वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । समस्त सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना दावा मेन्टेनेबल नहीं था । अपीलान्ट मृतक मोतीलाल जी की सगी पुत्रियॉ हैं इस कारण वादग्रस्त आराजी में उनका हित–निहित है । बयानों में पीडब्ल्यू– 2 ने अपीलान्टगण को मोतीलाल की बहिने माना है । पीडब्ल्यू–1 ने भी स्वीकार किया है कि अपीलान्ट मोतीलाल की पुत्रियॉ हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011 (2) पेज 1020, आरआरटी 2011 (1) पेज 399 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया था जो खारिज किया गया । उसकी उन्होंने कोई रिवीजन पेश नहीं की है । अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार नहीं हैं उन्हें अपील करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावंली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 ने रेस्पोडेन्टगण क्रम 6 से 12 एवं रामचन्द्र के खिलाफ एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । यद्यपि सहायता में विभाजन की सहायता भी मांगी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावे में बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की है परन्तु काउन्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अपीलान्ट क्रम 1 से 3 ने अपनी अपील में यह कथन किया है कि वो मृतक मोतीलाल की सगी पुत्रियॉ होने के नाते इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं । इस क्रम में पत्रावली में पर संलग्न जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम का अवलोकन किया । उसमें विशेष आपत्ति में यह अंकित किया गया है कि मोतीलाल की 03 पुत्रियॉ कस्तूरी बाई, कंचन बाई एवं भूली बाई आवश्यक पक्षकार हैं । साथ ही पत्रावली पर बयान पीडब्ल्यू–1 गोकुल ने यह कथन किया है कि मेरे पिता की 03 बहिनें थी जिनके नाम कस्तूरी बाई, कंचन बाई एवं भूली बाई हैं । गवाह पीडब्ल्यू–2 ओम प्रकाश ने भी अपने बयानों में यह कथन किया है कि हमारे पिता 03 भाई हैं और 03 बहिने हैं । यह बात सही है कि हमारे द्वारा हमारी तीनों बुआ कस्तूरी बाई, कंचनबाई एवं भूली बाई को पक्षकार नहीं बनाया है । इस प्रकार बयान पीडब्ल्यू–1 एवं पीडब्ल्यू–2 से यह प्रमाणित होता है कि अपीलान्टगण इस प्रकरण में मोतीलाल की सगी पुत्रियॉ होने के नाते इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी जिनको पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय और डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । इन तथ्यों के आधार पर हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण क्रम 1 लगायत 3 को पक्षकार बनाकर उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा